FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

...सहायक कलक्टर एवं S.D.O. मुकाम बायतु

नारणाराम बनाम पेमाराम वगैरह

...म मुकदमा राज.अधि. 111,128 RLRAct नं. 338/19 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07/11/19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री नरपत पूनड़ ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 RLRAct राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 10/12/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
10/12/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 25/02/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
25/02/2020	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय रक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त है। मिसल इत्तला होकर दिनांक 08/04/2020 को पेश हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.04 16:10:35 IST
Reason: SelfAttested

08/04/2020 पत्रावली आज पेश हुई। कोविड-19 के चलते कोर्ट नहीं लिया गया। पीठासीन अधिकारी लिंक कार्य में व्यस्त से मिसल तलब होकर आगामी दिनांक 10/06/2020 को पेश हो।

10/06/2020 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनुप०।

प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया कि प्रार्थी व विपक्षी-गणों के खातेदारी खेत लगालग आये हुए हैं। उनके खेतों के मध्य जो पुरानी मेड़ें व डोल आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से मिट गये हैं जिस कारण प्रार्थी को अपने खेतों का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है। प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य खेत के मेड़ों को लेकर हमेशा तनाजा बना रहता है। इसलिए प्रार्थी को अपने खेत के मेड़ों को लेकर का सही ज्ञान करने हेतु पक्की पत्थरबन्दी करवाना आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का पत्थरबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरबन्दी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का पत्थरबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर व सम्बन्धित भू० अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की पत्थरबन्दी करवाकर कमिशन रिपोर्ट जमा करावें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज रजिस्टर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.04 16:10:35 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

/आवेदन/2020/ 393 दिनांकः– 10.06.2020

व आवेदन संख्या –338/19

प्रार्थीगण **बनाम** **विप्रार्थीगण**

श्री नारणाराम पुत्र मुकनाराम वगैरा 3 जाति–जाट, निवासी–नरसाली नाडी, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर

श्री पेमाराम पुत्र ताजाराम वगैरा 22

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा नरसाली नाडी पटवार हल्का कोलू के खेत खसरा नम्बर 960 रकबा 69.00 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वयं या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनर शुल्क 500/– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

विवेक व्यास
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/आवेदन/2020/ 393 दिनांकः– 10.06.2020

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, बायतु।
2. पटवारी हल्का, कोलू को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री नारणाराम पुत्र मुकनाराम वगैरा 3।
4. विप्रार्थीगण श्री पेमाराम पुत्र ताजाराम वगैरा 22।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु।

विवेक व्यास 10.6.2020

उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.04 16:10:35 IST
Reason: SelfAttested